राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1060/2019

अक्षय कुमार कोठारी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.05.2019
आदेश की दिनांक : 25.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हिमांशु शर्मा (ओआईसी)

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1978 में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया और अपीलार्थी को वर्ष 1995–96 की रिक्ति के विरुद्ध अधिशाषी अभियंता, सिविल के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी को वर्ष 2004–05 की रिक्ति के विरुद्ध अधिशाषी अभिंयता सिविल के पद से अधीक्षण अभियंता, सिविल के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसे आदेश दिनांक 26.12.2004 (अनुलग्नक–1) द्वारा समीक्षा और संशोधन (Reviewe Revision) के आधार पर अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। वर्ष 2004 में सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी और इस प्रकार वर्ष 2005–06 में अधीक्षण अभियंता, सिविल के कैडर में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं हुई और अपीलार्थी को 2006–07 की रिक्ति के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता के पद के लिए विचार किया गया था। अपीलार्थी दिनांक 27.12.2004 से लगातार एसई सिविल के पद पर कार्य कर रहा था और इस प्रकार उसने अधीक्षण अभियंता के पद से अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अधीक्षण अभियंता सिविल के पद पर निर्धारित पांच वर्षों का सेवा अनुभव दिनांक 27.12.2009 को पूर्ण कर लिया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.01.2011 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद भी अतिरिक्त रूप से संभालने की अनुमति दी गई थी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रहते हुए अपीलार्थी ने कुछ व्यक्तिगत

समस्याओं के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी और अपीलार्थी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई थी और आदेश दिनांक 10.10.2011 (अनुलग्नक–2) द्वारा उसे दिनांक 01.11.2011 से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी बुलाई गई थी और अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में संख्या 16 में दर्शाया गया था (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को वर्ष 2009–10 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना गया था, लेकिन रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया और वर्ष 2010–11 में उसे फिर से पात्र उम्मीदवार माना गया और उसका नाम पात्रता सूची में 11वें नंबर पर दिखाया गया। यह भी कहा गया कि वर्ष 2010–11 में 9 रिक्तियां निर्धारित की गई थी। अतः मुख्य अभियंता के कैडर में 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 8 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थे तथा वर्ष 2010–11 के लिए डीपीसी बुलाते समय डीपीसी ने अपीलकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया तथा अपीलकर्ता को पात्र नहीं माना तथा वर्ष 2010–11 के लिए तीन रिक्तियां यह देखते हुए रिक्त रखी गईं कि इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है (अनुलग्नक–4)। वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरुद्ध अपीलार्थी को अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना गया तथा माना गया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पांच वर्ष का न्यूनतम अनुभव रखने वाला सामान्य श्रेणी का कोई भी योग्य उम्मीदवार विचाराधीन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था (अनुलग्नक–5)। इसी तरह का विवाद पहले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मण मीना एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा डीबी के मामले में राजस्थान राज्य बनाम भंवर लाल मालाकार एवं अन्य के मामले में तय किया जा चुका है कि अनुभव की गणना पदोन्नति वर्ष की पहली अप्रैल से की जानी चाहिए, लेकिन प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के मामले पर गलत तरीके से विचार नहीं किया है और उसे अतिरिक्त मुख्य अभ्यिंता सिविल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था और इसलिए, अपीलार्थी ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17101/2013 अक्षय कुमार कोठारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के रूप में पेश की और उक्त रिट याचिका का दिनांक 28.3.2014 को निपटारा कर दिया गया, जिसके तहत प्रतिवादियों को राजस्थान राज्य बनाम भंवर लाल मालाकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के डीबी के फैसले और लक्ष्मण प्रसाद मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में भी फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के शिकायतों के संबंध में प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया गया था (अनुलग्नक–6)। दिनांक 28.3.2014 के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 01.05.2014

(अनुलग्नक–7) द्वारा एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए एसबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 1514/2016 अक्षय कुमार कोठारी बनाम श्री शिखर अग्रवाल और अन्य के नाम से अवमानना याचिका दायर की और अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों ने 19.9.2017 को आदेश पारित किया जिसके तहत अपीलकर्ता के अभ्यावेदन को उसी आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता के पास अधीक्षक अभियंता सिविल के पद पर पांच साल का अनुभव नहीं है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर विचार किए बिना उल्लेख किया गया है (अनुलग्नक–8)। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 19.9.2017 को आदेश पारित किया जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लिया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30.5.2018 के निर्णय की प्रति अनुलग्नक–9 पर अंकित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाए और दिनांक 19.9.2017 के आदेश को अपास्त किया जाए। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि वे अपीलार्थी को वर्ष 2009–10 या 2010–11 या 2011–12 की रिक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति करें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अक्षय कुमार कोठारी वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध रिव्यू व रिविजन के आधार पर अधिशाषी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किये गये थें। श्री कोठारी द्वारा उक्त पदोन्नत पद पर दिनांक 27.12.2004 को कार्य ग्रहण किया गया परन्तुं श्री कोठारी की अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई। अधीक्षण अभियंता से अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य थी। श्री कोठारी की अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति वर्ष 2006–07 में वास्तविक रिक्ति दिनांक 01.12.2006 होने के कारण 5 वर्ष की अवधि दिनांक 01.04.2012 को प्राप्त होती है। जिसके आधार पर श्री कोठारी वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र होते है। रिव्यू व रिवीजन के आधार पर की गई सेवा अवधि पदोन्नति के लिए गणना योग्य नही होती हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार उच्च पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पद पर सेवा अवधि की गणना चयन वर्ष के अगले वर्ष की 01 अप्रेल से की जाती है। श्री कोठारी की अधिशाषी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के

पद पर नियमित पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अधीक्षण अभियंता के पद पर वांछित सेवा अवधि की गणना दिनांक 01.04.2007 से की गई। श्री कोठारी आवश्यक 05 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 01.04. 2012 को पूर्ण करते है एवं इस प्रकार श्री कोठारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद हेतु वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध ही पात्र होते है। निर्धारित 05 वर्ष का अनुभव नही होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद की वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री कोठारी के नाम पर विचार नही किया गया। कोठारी की अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई। रिव्यू व रिविजन के तहत की गई सेवा अवधि पदोन्नति के लिए गणना योग्य नही होती है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.07.2003 के बिन्दु संख्या 9 एवं परिपत्र दिनांक 04. 06.2008 बिन्दु संख्या 17 के अनुसार रिव्यू व रिविजन के आधार पर की गई पदोन्नति को अगले वर्ष रिव्यू व रिवाईज किया जाना आवश्यक है। श्री कोठारी का नाम निर्धारित योग्यता एवं वरिष्ठता रखने एवं विचारण सीमा में होने के कारण अनुसूची श्डीश में सम्मलित था परन्तु निर्धारित सेवा अवधि नही होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नही किया गया। अनुसूची श्डीश में नाम होने का तात्पर्य पदोन्नति हेतु पात्र होना नही है, पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता, वरिष्ठता व सेवा अवधि सभी होना अनिवार्य है। श्री राम प्रसाद गुप्ता, श्री जी. आर. भंसाली एवं श्री बी.के. सिंघल अधीक्षण अभियंता की वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किये गये थे। जबकि श्री कोठारी रिव्यू व रिविजन के तहत पदोन्नत किये गये थे। अधीक्षण अभियंता के पद पर श्री राम प्रसाद गुप्ता, श्री जी. आर. भंसाली एवं श्री बी. के. सिंघल को निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर वर्ष 2009–10 के रिक्तियों के विरूद्ध श्री राम प्रसाद गुप्ता को नियमित रूप से पदोन्नत किया गया जबकि श्री जी. आर. भंसाली एवं श्री बी.के. सिंघल को रिव्यू व रिविजन के आधार पर पदोन्नत किया गया था। श्री कोठारी की अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध होने एवं इनकी वास्तविक रिक्ति दिनांक 01.12. 2006 होने के कारण वांछित सेवा अवधि की गणना 01.04.2007 से किये जाने के कारण श्री कोठारी 01.04.2012 को पदोन्नति हेतु पात्र होते है। वांछित सेवा अवधि नही होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध इनके नाम पर विचार नही किया गया। श्री कोठारी द्वारा दिनांक 01.05.2014

को दिये गये ज्ञापन पर कार्मिक विभाग द्वारा स्वमुखरित आदेश दिनांक 19.9.2017 एवं 18.05.2018 जारी कर अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2018 के द्वारा अभ्यावेदन को निस्तारित माना जाकर एस.बी. सिविल कन्टेम्प पिटिशन नं. 1514/2016 खारिज कर दी गई। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष को सुना एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारित करने हेतु जारी आदेश दिनांक 19.09.2017 को चुनौती दी है। परंतु अपील में यह कहीं भी अकंन नहीं है कि आलौच्य आदेश में क्या नियम विरूद्धता है जिसे चुनौती दी गई है। यह सुस्थापित है कि अनुभव की गणना नियमित पदोन्नति से होती है। अपीलार्थी द्वारा रिव्यू रिविजन के आधार पर दी गई पदोन्नति से अनुभव की गणना करने का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अनुभव की गणना नियमित पदोन्नति में रिक्ती के उपलब्धता से की जाती है। अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर हुई है एवं प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार रिक्त पद दिनांक 01.12.2006 को उपलब्ध हुआ है। ऐसी दशा में अधीक्षण अभियंता के पद पर अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2007 से की जानी है। अनुभव की गणना पद रिक्त उपलब्ध होने से पहले से नहीं की जा सकती। 5 वर्ष का निर्धारित अनुभव दिनांक 01.04.2012 को पूरा होने से अपीलार्थी वर्ष 2012–13 से पहले अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होता है एवं अपीलार्थी ने इससे पहले ही दिनांक 01.11.2011 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली थी।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य